न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 40/2025 G.C.M.S. No. 2025/141 दर्ज दिनांक : 30.04.2025

अपीलार्थिगणः

1. खीमसिंह पुत्र स्व. सावंतसिंह
2. दलपतसिंह पुत्र स्व. सावंतसिंह
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. सावंतसिंह
4. मतरा कंवर बेवा सावंतसिंह
5. सीता कंवर पुत्री सावंतसिंह, सभी जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम मण्डलीखुर्द, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. दलपतसिंह पुत्र जोगसिंह
2. भलपतसिंह पुत्र जोगसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र जोगसिंह
4. जमनादेवी पत्नि दलपतसिंह, कौम राजपूत, निवासीगण ग्राम मण्डलीखुर्द, तहसील व जिला पाली।
5. वेनाराम पुत्र राजाराम, कौम सीरवी, निवासी सीरवीयों का बास पाली, जिला पाली।
6. जमना कंवर पत्नि दलपतसिंह
7. अमिया कंवर पत्नि भलपतसिंह
8. सायर कंवर पत्नि मोहनसिंह, जातिगण रजपूत, निवासीगण ग्राम मण्डलीखुर्द, तहसील व जिला पाली।
9. गुमानसिंह पुत्र स्व. सावंतसिंह के वारिसानः–
   9/1 सुन्दर कंवर बेवा गुमानसिंह
   9/2 प्रेमसिंह पुत्र गुमानसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम मण्डलीखुर्द, तहसील व जिला पाली।
10. आयुक्त नगर परिषद पाली।
11. चेयरमैन यू.आई.टी. पाली।
12. सरकार जरिये तहसीलदार पाली।
13. उपपंजीयन अधिकारी पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2024 बअनवान खीमसिंह वगैरह बनाम दलपतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2025

पैरोकार–

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांकः 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2024 बअनवान खीमसिंह वगैरह बनाम दलपतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा मूल दावा अन्तर्गत धारा 88, 188,53, 192 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत निवेदन किया गया कि यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 की मालिकाना हक की सामंलाती पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 107 नया, पुराना खसरा न. 213, रकबा 12 बीघा किस्म बॉरानी अव्वल तथा खसरा नम्बर 152 (नया), पुराना खसरा नम्बर 311 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, किस्म नहरी दोयम की मौजा ग्राम मण्डली खुर्द तहसील पाली मे स्थित है तथा उक्त सामंलाती खातेदारी की कृषि भूमि मे वादीगणो का अपने हक हिस्से में अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी के समय से सांमलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी अपनी उक्त पैतृक सामंलाती खातेदारी की कृषि भूमि में अपने पिताजी के हक अधिकार की कृषि भूमि में वादीगणों का ही कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषणा एवं बंटवाडा बाबत पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रारम्भिक तनकी कायम की जाकर उसको विनिश्चय करने का कानूनन प्रावधान उपलब्ध था, विकल्पेन दावा पुनः सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाये जाने का विकल्प उपलब्ध था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तकनीकी आधार पर वाद खारिज किया जाने की कानूनन भारी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के अनुतोष पर गौर तक नही किया गया। जो अनुतोष वाद मे अपीलाण्टस/वादीगण द्वारा मांगे गये है वे तमाम अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के है इसके बावजूद दावे मे वर्णित तथ्यो एवं अनुतोषो पर कोई गौर नही कर तथा वाद को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज किया गया है जो किसी भी रूप से न्यायसंगत नहीं हैं। आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय प्रार्थना पत्र में वर्णित उजरदारीयों को नहीं पढा जाता है, अपितु दावे मे वर्णित तथ्यो, वादकारण एवं अनुतोष को ही पढा जाता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टसगण द्वारा प्रस्तुत विधि सम्मत वाद के तथ्यो पर एवं वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजातो पर गौर तक नही किया गया है, रेस्पोडेण्टस द्वारा वादी के पिता सांवतसिंह के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से कूटरचित दस्तावेजो के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जरिये स्थानान्तरण कर वादी अपीलाण्टगणों को अपने हक अधिकारों से महरूम रखा गया है। जिससे अपीलाण्ट्स वादीगणों को अपूर्णीय क्षति हो रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 की ओर से जरिये अधिवक्ता आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादपत्र में उल्लेखित खसरा संख्या 107 की आराजी कृषि भूमि दर्ज नहीं होकर आवासीय प्रयोजनार्थ नगर सुधार न्यास पाली के नाम दर्ज है। इस संबंध में वाद सुनने व ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। कृषि भूमि व अकृषि भूमि का कंपोजिट सूट धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार केवल सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। खसरा संख्या 152 में अपना संपूर्ण हिस्सा वादीगण के पूर्वज द्वारा दिनांक 29.10.1982 एवं 02.09.1998 को पंजीकृत विक्रय–विलेख से विक्रय कर दिया गया था। जिनके निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। वादीगण द्वारा खसरा संख्या 152 की भूमि में अपना 1/3 हिस्सा होना बताते हुए मुआवजा दिलाए जाने का अनुतोष चाहा है। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।
3. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2076 से 79 के अनुसार खसरा संख्या 107 रकबा 0.0809 हैक्टेयर आवासीय प्रयोजनार्थ तथा खसरा संख्या 152 रकबा 3.8040 हैक्टेयर गैर मुमकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आबादी दर्ज होने के फलस्वरूप अकृषि भूमि बाबत मामलों की सुनवाई का विधिनुसार अधिकार सिविल न्यायालय में निहित होने तथा धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निष्पादन के आधार पर किए गए विक्रय हस्तांतरण आदि को राजस्व न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं कंपोजिट सूट बाबत सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के आधार पर वादपत्र विधि द्वारा वर्जित अंकित करते हुए खारिज किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया है कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र में अंकित अभिवचनों का अवलोकन करते हुए निर्णय किया गया। बल्कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वादग्रस्त आराजी की अद्यतन जमाबंदी जोकि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई, का अवलोकन करते हुए प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना स्पष्ट है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि वादपत्र किस विशिष्ट विधि से, किस रूप में तथा किस प्रकार से वर्जित है।

5. आदेश 7 नियम 11 के प्रकरण में वाद निरस्तीकरण के लिए विचारणीय तत्व के रूप में केवल वादपत्र के प्रकथन सार्थक है और प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र में लिए गए अभिवाक असंगत है। प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन/प्रतिवादपत्र में ली गई प्रतिरक्षा पूर्णतः असंगत होने से विचार में नहीं ली जा सकती हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरनपाल कौर बनाम प्रद्युमानसिंह चंधोक (एस.सी.), 2002 (2) आर.सी. आर (सिविल) 536 : 2022 (5) में उक्त अभिमत प्रकट किया है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ग्राम मण्डलीखुर्द तहसील पाली की वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा संख्या 213 नवीन खसरा संख्या 107 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा पुराना खसरा संख्या 311 नवीन खसरा संख्या 152 रकबा 23–10 बीघा किस्म नहरी दोयम वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि होना अंकित करते हुए उक्त आराजीयात में से खसरा संख्या 107 की आराजी में वादीगण के पिता सावंतसिंह का 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार एवं खसरा संख्या 152 की आराजी में वादीगण के पिता का 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार निहित होना अंकित करते हुए जोकि भूप्रबंध संवत 2012 की मिसल से साबित होना अंकित करते हुए खसरा संख्या 107 व 152 की आराजी को हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वजों जोगसिंह पुत्र चैनसिंह व जयसिंह पुत्र खेतसिंह ने राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी व कांट–छांट कर वादीगण के पिताजी का हिस्सा हड़प किया गया। जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है, के आधार पर वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में यह अंकित किया है कि पैरा संख्या 1 में उल्लेखित वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 152 में निहित अपने 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर रेवेन्यू रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें एवं चूंकि उक्त कृषि भूमि नगर परिषद के खाते में चली जाने से उक्त हक, हिस्से 1/3 के अनुरूप प्रतिवादीगण से मुआवजा दिलाया जावें।

7. हमारे विनम्र मत में चूंकि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी होने तथा भूप्रबंध संवत 2012 से वादीगण के पिता के नाम दर्ज होने तथा कृषि भूमि होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकार निहित होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध आरंभतः शून्य प्रविष्टियों व संक्रियाओं के आधार पर भू–अभिलेख में से वादीगण के पूर्वज का नाम/हिस्सा विलोपित कर दिये जाने के आधार पर अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व हिस्से अनुरूप बंटवाड़ा करवाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के अनुतोष की वांछना के साथ वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 3, 5, 23 (ग) के प्रावधान अनुसार अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के अंतर्गत वादपत्रों का एकमेव श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर को ही प्राप्त है। अतः हमारे विनम्र मत में वादपत्र क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के आधार पर किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं।

9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में वादपत्र धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना अंकित किया है तथा इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी उल्लेख है। हमारे विनम्र मत में धारा 242 केवल ऐसे प्रकरणों से संबंधित है जो दीवानी न्यायालय में जैरकार हों तथा दीवानी न्यायालय में कृषि भूमि के संबंध में दायर किए गए किसी वाद में काश्तकारी के अधिकार संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए एवं उस प्रश्न का निर्णय सक्षम विचार, अधिकार रखने वाले किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पहले विनिश्चित नहीं किया गया हों तो उक्त दीवानी न्यायालय काश्तकारी के अधिकार की दलील पर एक वादपद स्थिर करके अभिलेख को केवल उसी वादपद के निर्णय हेतु समुप्युक्त राजस्व न्यायालय को प्रेषित करेगा। अतः स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण न तो राजस्व न्यायालय में जैरकार था एवं न ही राजस्व न्यायालय के समक्ष काश्तकारी अधिकार से संबंधित कोई विवाद्यक उत्पन्न हुआ न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादपत्र कंपोजिट सूट की श्रेणी में आता है एवं न ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कथित कंपोजिट सूट मानने के कोई कारण अभिलिखित किए हैं। अतः स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित कोई बिंदु विद्यमान नहीं था तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र धारा 242 के अंतर्गत केवल सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होना मानकर गंभीर त्रुटि के साथ–साथ गलत रूप से विधिक विवेचना की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

10. वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रथम भूप्रबंध से अपने खातेदारी अधिकार निहित होने तथा वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि होने का अंकन करते हुए अनुतोष चाहा है। अतः ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती प्रक्रम/कार्यवाही से यदि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाता है या अंतरण या नामांतरण आदि दर्ज हो जाता है या खसरा नंबर परिवर्तित हो जाते हैं तो इससे वांछित अनुतोष परिवर्तित नहीं हो सकता। क्योंकि अपने निहित खातेदारी अधिकारों के हिस्से की सीमा तक ऐसे सभी अंतरण/परिवर्तन आदि आरंभतः शून्य होते हैं। नामांतरण जैसी प्रविष्टियां महज फिस्कल प्रोसीडिंग होती हैं। इनके आधार पर न तो खातेदारी अधिकार सृजित हो सकते हैं एवं न ही समाप्त किए जा सकते हैं। साथ ही ऐसे सभी अंतरण/संपरिवर्तन/नामांतरण आदि का विधिक रूप से किस पक्षकार पर किस रूप से प्रभाव होगा तथा वादपत्र इनसे किस रूप से प्रभावित होगा, उक्त के संबंध में जवाबदावा उपरांत पृथक से विवाद्यक कायम होकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय किसी भी दृष्टि से आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के स्तर पर नहीं किया जा सकता। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी की प्रतियों का अवलंब लेते हुए वर्तमान भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर रूप से कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

11. हमारे विनम्र मत में यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा संबंधी वादपत्रों को महज तकनीकी, प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर निरस्तीकरण जैसे दण्डात्मक रूख अदालतों को अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 में वादपत्रों को लौटाये जाने का भी विधिक प्रावधान उपलब्ध है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में यह भी उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र खारिज कर कानूनन भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा पुनः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटाया भी जा सकता था। जो नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में विकल्पेन यह भी निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादपत्र पुनः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटा दिया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान वादपत्र लौटाये जाने की अनुमति बाबत निवेदन किया है। उपर्युक्त विवेचन से यह तो सुस्पष्ट है कि वादपत्र आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं तथा न ही वादपत्र धारा 242 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं। चूंकि अपीलांट द्वारा वादपत्र पुनः लौटाये जाने का निवेदन किया है तथा आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत वादपत्र पुनः लौटाये जाने का निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:–

नियम 10 (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए वादपत्र वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा। जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात वादपत्र के लौटाये जाने का निर्देश दे सकेगा।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिनुरूप नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए वादपत्र आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत अपीलांट वादीगण को लौटाया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2024 बअनवान खीमसिंह वगैरह बनाम दलपतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2025 को अपास्त करते हुए वादपत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 10 सीपीसी वादीगण को लौटाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र मय वादपत्र के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वादीगण अपीलांट को लौटाया जावें एवं शेष पत्रावली मय शेष दस्तावेजात निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें। वादीगण सक्षम न्यायालय में विधिनुरूप वांछित अनुतोष हेतु वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत होने व लौटाये जाने के मध्य की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अवधि विहित परिसीमा प्रयोजनार्थ क्षम्य होगी। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली